तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 70/2020(जी.सी.एम.एस. नंबर 2020/00155) बअनवान हड़मानराम बनाम मांगीलाल इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

हड़मानराम

बनाम

मांगीलाल इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री रोशनलाल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. 12

आदेश

दिनांक 10 जनवरी 2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर बिलाड़ा के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 13/2020 अनवान मांगीलाल बनाम हड़मानराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 20 मई 2020 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 08 जुलाई 2020 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 74 रकबा 03.05 बीघा, खसरा नं. 99/1 रकबा 10 बीघा, खसरा नं. 150 रकबा 07.02 बीघा ग्राम विष्णु की ढाणी तहसील बिलाड़ा अपीलांट की एकल खातेदारी की भूमि है जो अपीलांट एवं उनके भाईयों के मध्य विभाजन से प्राप्त हुई है। वादग्रस्त आराजी बाद विभाजन प्राप्त होने से प्रत्यर्थी संख्या एक की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना रेकर्डेड खातेदार के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के बाद आदेश 39 सीपीसी की पालना नहीं की गई है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20 मई 2020 को अपास्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरुप विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजी की अपीलांट की सहखातेदारी की भूमि प्रतीत होती है जो पारिवारिक बंटवाड़ा की पालना में भरे गये नामांतरकरण संख्या 191 दिनांक 03.10.2017 के जरिये अपीलांट की खातेदारी में दर्ज किया जाना प्रतीत होता है। रेस्पोडेंट संख्या 1 (वादी) द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पुश्तैनी भूमि में अपीलांट (प्रतिवादी संख्या 1) का पुत्र होने के नाते 1/9 हिस्सा दावे में मांगा गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुने बिना विवादग्रस्त आराजी में उसकी खातेदारी के सम्पूर्ण रकबे पर अंतरिम व्यादेश जारी कर दिया गया जो विधि की दृष्टि से न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नही पाये जाने से अदालत हाजा की राय में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 70/2020(जी.सी.एम.एस. नंबर 2020/00155) बअनवान हड़मानराम बनाम मांगीलाल इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध है। मामला अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। लिहाजा मामले के विधिसम्मत निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

लिहाजा उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20 मई 2020 को निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दो माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे। तब तक उभय पक्ष विवादग्रस्त आराजी ग्राम विष्णु की ढाणी के खेत खसरा नं. 99/1 रकबा 10 बीघा, खसरा नं. 74 रकबा 3.05 बीघा तथा खसरा नं. 150 रकबा 7.02 बीघा बेचान नही करें। तहरीर जारी हो।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर